अवसर [illegible] पत्रावली दिनांक 09/01/23
आज पर
को पेश हो

[illegible]

09/01/23 वकुलाल वाल्मीकि [illegible] / जवाब प्रार्थना पत्र पेश
वकुलाल वाल्मीकि [illegible] बहस प्रार्थना पत्र 9 R/o [illegible]
हुआ/ पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 16/01/2023 को पेश हो

[illegible]

16/01/23 वकुलाल वाल्मीकि उप०/ वकील प्रार्थी हेमलाल सिंह
की ओर से [illegible] 3 [illegible] पेश हुआ/ बहस
प्रार्थना पत्र 9 R/o 13 CPC सुनी गयी/ पत्रावली
वास्ते [illegible] दिनांक 24/01/23
को पेश हो

[illegible]

24/01/23 पत्रावली पेश हुई/ [illegible] स्थगित हो गया प्रार्थी
पर वकील [illegible] 9 R/o 13 CPC पर बहस
सुनी जा चुकी है [illegible] हेमलाल
सिंह द्वारा प्रा०प० 9 R/o 13 [illegible] व 5 SCRA [illegible]
का निवेदन किया [illegible] अपील [illegible]
से आना बताया है [illegible] में [illegible] उत्तराधिकारी
उत्तराधिकार [illegible] द्वारा न्यायालय में [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम,जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

छत्रपाल सिंह बनाम मनजीत कौर वाद सं. 56/2018 विचाराधीन
है जिसमें वादिनी द्वारा जवाब दावा पेश किया हुआ है।
प्रार्थी इस वाद में ~~अन्तर्विष्ट~~ अंतर्वलित समान प्रश्नों का
प्रभावी तौर पर उत्तर देने एवं न्यायालय के समय व संपूर्ण
निर्णय के लिए प्रार्थी की उपस्थिति आवश्यक है पूर्व
विचाराधीन वाद व हस्तगत वाद एक ही कारण पर आधारित
है प्रार्थी को प्रति-क्र. 2 संयोजित कर इस वाद व वाद 56/18
को संयुक्त निस्तारित करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन
किया है। वादिनी जवाब प्र पत्र प्रस्तुत कर प्र पत्र की
शर्तों को अस्वीकार करते हुए प्र पत्र खारिज करने
हेतु निवेदन किया है पत्रावली का अवलोकन किया।
वादिनी द्वारा वादिनी की माता की वसीयत से प्राप्त
भूमि के आधार पर वादिनी के खातेदारी अधिकारों
की घोषणा एवं रिकॉर्ड में वादिनी के नाम बलबीर
कौर के स्थान पर बलबीर कौर उर्फ जसबीर कौर
दर्ज करने दुरुस्ती करने के अनुतोष पर आधारित
वाद पेश किया है वसीयतनामा की प्रति भी
वादिनी द्वारा प्रस्तुत की गयी है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
O.1 R.10 सपठित धारा 55 LRA के द्वारा इस वाद में प्रार्थी
को पक्षकार संयोजित कर इस वाद को पूर्व से ही
विचाराधीन वाद 55/18 के साथ समेकित करने हेतु
निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा स्वयं प्र पत्र में स्वीकार
किया गया है कि वादिनी द्वारा उक्त वाद में जवाब
पेश किया गया है। दोनों वाद भिन्न प्रकार के
पेश किया गया है तथा एक ही अनुतोष
की विषयवस्तु से अन्तर्विष्ट [illegible] गया
पर आधारित है प्रार्थी द्वारा [illegible]
है वादिनी द्वारा [illegible] खातेदारी रजिस्ट्रेशन का
भूमि का वसीयतन उत्तराधिकार [illegible]
वाद पेश किया है इससे प्रार्थी प्रभावित किस प्रकार
प्रभावित है प्रार्थी द्वारा जिरह नहीं किया गया है
ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य
प्रतीत नहीं होता है

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र O.1 R.10 / 151 CPC - 55 LRA का खारिज किया जाता है।
	प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/रा.अ./2023/772 दिनांक 15/02/2023 प्राप्त हो चुकी है रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार "19 NP खाता सं. 4 पं.नं. 175/389 मु.नं. 34 ख.नं. 13/3 ता 4 कुल 3.163 हैक्टेयर रकबा में से बलवीरकौर पुत्री जीत सिंह 633/3163 हिस्सा जाति मजहबी सिख ग्राम 22 NP के नाम खातेदार दर्ज है। 19 NP नामान्तरकरण 74 किस्म विरासत दिनांक 21/10/1998 द्वारा पं.नं. 171/342 मु.नं. 44 में प्रार्थिया का नाम बलवीरकौर उर्फ जसवीरकौर पुत्री अजीत सिंह उर्फ जीत सिंह राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ है। ग्राम सेवक ग्रा.पं. मटीलीवाली द्वारा जारी जन्म पत्र क्रमांक 32 दिनांक 04/02/1996 में प्रार्थिया का बलवीर कौर उर्फ जसवीर कौर पुत्री अजीत सिंह उर्फ जीत सिंह नाम अंकित है। बलवीरकौर पुत्री जीत सिंह के स्थान पर बलवीर कौर उर्फ जसवीर कौर पुत्री जीत सिंह की दुरुस्ती की जानी उचित है।"
	अतः रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार दुरुस्ती के आदेश दिया जाना उचित है। वादिया द्वारा वाद पत्र के साथ कांग्रेस ग्रा.पं. MSD द्वारा जारी जन्म पत्र भी प्रस्तुत किया है। वादिया द्वारा वसीयत आधार पर [illegible] माता [illegible] की भूमि पर स्वयं के [illegible] चाहा है। [illegible] के तहत दुरुस्ती का अनुतोष चाहा है। वसीयत के निष्पादन हेतु वादिया द्वारा सक्षम न्यायालय में सक्षम अधिकारी के समक्ष विधि अनुरूप आवेदन किया जाना चाहिए था। अतः वादिया को 88 RTA के तहत कोई अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम,जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रदान नहीं किया जा सकता है अतः प्रकरण मय खाता दुरस्ती की हद तक विवाद मौजूद होने के कारण रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के आधार पर वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 19 NP के खाता से 5 मे दर्ज भूमि मु.नं. 25 प.नं. 175/399 कि.नं. 13/3 से 25 की कुल 3.163 हे० कच्ची भूमि के संयुक्त भूमि के खातेदार मे नाम बलवीर कौर पुत्री जीत सिंह के स्थान पर बलवीर कौर उर्फ जसवीर कौर की दुरस्ती कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते है इसी आशय के तहरीर आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसले मे शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested